रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941
No. 748] NEW DELHI FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर 2019

सा.का.नि. 959(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 523(अ), तारीख 24 जुलाई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त प्रारूप नियमों से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 जुलाई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान, (पंद्रहवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 मार्च, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 में, उप नियम (1) के परंतुक की सारणी में, -

(क) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मद	फिटमेंट की जांच	मूल उपस्कर सिफारिशों के अनुसार बनावट/ प्रकार/रेटिंग आदि	स्थिति की जांच	कार्य पद्धति की जांच	परीक्षण	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"(19)	निःशक्तजन यात्रियों और चलने फिरने में अक्षम यात्रियों के लिए प्राथमिकता सीट, चिह्न, बैसाखी/छड़ी/ वाकर, हैंड रेल/सुरक्षित खंभे उपलब्ध होना, प्राथमिक सीटों पर नियंत्रण।	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	सुनिश्चित करें कि केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के उप-नियमों (1) और (7) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।";

(ख) इस प्रकार अंत:स्थापित क्रम संख्यांक 19 और प्रविष्टियों के पश्चात्, 1 अक्तूबर, 2020 से प्रभावी निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मद	फिटमेंट की जांच	मूल उपस्कर सिफारिशों के अनुसार बनावट/प्रकार/ रेटिंग आदि	स्थिति की जांच	कार्य पद्धति की जांच	परीक्षण	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"(20)	निःशक्तजन यात्रियों और चलने फिरने में अक्षम यात्रियों के लिए व्हील चेयर प्रवेश/स्थान/व्हील चेयर के लिए लॉक लगाने की व्यवस्था।	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	सुनिश्चित करें कि केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के उप-नियमों (1) और (7) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।"।

[फा. सं. आरटी-11028/02/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किये गए थे, और अधिसूचना संख्यांक 935(अ) तारीख 18 दिसम्बर, 2019 द्वारा इनमें अंतिम रूप से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

G.S.R. 959(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and

Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), vide notification number G.S.R 523(E), dated the 24th day of July, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th July, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely.-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of March, 2020.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 62, in sub rule (1), in the proviso, in the TABLE,-

(a) after serial number 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Item	Check Fitment	Check makes/ type/ rating etc. as per original equipment recommend-dations.	Check condition	Check functioning	Test	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"(19)	Priority Seats, Signs, securing of crutches/ canes/walker, hand rail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility.	Yes	No	Yes	Yes	No	Ensure that the provisions of sub-rules (1) and (7) of rule 125C of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 are complied with.";

(b) after serial number 19 and entries as so inserted, the following serial number and entries shall be inserted with effect from the 1st day of October, 2020, namely:-

Sr. No.	Item	Check Fitment	Check makes/ type/ rating etc. as per original equipment recommend-dations.	Check condition	Check functioning	Test	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"(20)	Wheel chair entry/housing/ locking arrangement for	Yes	No	Yes	Yes	No	Ensure that the provisions of sub-rules (1) and (7) of rule 125C

	wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility.						of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 are complied with.”.

[F. No. RT-11028/02/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 935(E) dated 18th December, 2019.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.28 17:21:19 +05'30'